(ड्राफ्ट)

अनुसूची–02

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 200 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या–14/2019/931/तीस–4–2019/01(सा0)/2017, दिनांक 07 जून, 2019 को अवक्रमित करके, राज्यपाल निदेश देते हैं कि नीचे अनुसूची के स्तम्भ 1 में उल्लिखित अधिकारी स्तम्भ 2 में प्रत्येक के सम्मुख उल्लिखित अपराध, तथा स्तम्भ 3 में उल्लिखित धाराओं के अधीन अपराध का, उक्त अनुसूची के स्तम्भ 4 एवं स्तम्भ 5 में प्रत्येक के सम्मुख उल्लिखित धनराशि के लिए शमन कर सकते हैं:–

अधिकारी जो अपराधों का शमन कर सकते है।	मोटरयान अधिनियम, 1988 धाराएँ जिसके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है।	अपराधों का विवरण	प्रस्तावित प्रशमन शुल्क	
			प्रथम अपराध	अनुवर्ती अपराध
1	2	3	4	5
(1)परिवहन विभाग के अधिकारी यात्रीकर अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन। (2)पुलिस विभाग के अधिकारी (एक) नागरिक पुलिस/यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी (दो) यातायात पुलिस निरीक्षक/उपनिरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी (तीन) नागरिक पुलिस के अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र की अधिकारिता के अन्तर्गत निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक (चार) समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट	धारा– 122, 126 के साथ पठित मो0 यान अधि0 की धारा 177	<u>यातायात सम्बन्धी अपराध</u> 1– पार्किंग नियमों का उल्लघंन करने पर।	रू0–500/–	रू0–1500/–
	मो0 यान अधि0 की धारा 130 के साथ पठित धारा 177 केन्द्रीय मोटर यान नियमावली नियम 115(7)	2– मांग किये जाने पर पंजीयन प्रमाण–पत्र, परमिट, स्वस्थता प्रमाण–पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण–पत्र (puc), बीमा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करने पर। नोटः–डिजीलॉकर द्वारा इलेक्ट्रानिक फार्म में प्रस्तुत किये गये प्रपत्र स्वीकार किये जायेंगे।		
	धारा 47 के साथ पठित मो0 यान अधि0 धारा 177	3– 12 माह से अधिक समय तक अन्य राज्य के पंजीयन चिन्ह का प्रयोग करने पर।		
	धारा 119 के साथ पठित मो0 यान अधि0 धारा 177 धारा 184 ए, बी, डी, ई, एफ में वर्णित अपराधों को छोड़कर	4– ड्राइवर द्वारा विनिर्दिष्ट यातायात संकेतकों का न उपयोग करने पर।		
	धारा 6(2) के साथ पठित मो0 यान अधि0 की धारा 177	5– अन्य व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस देने पर		
	मोटर यान अधिनियम की धारा 123 के साथ पठित धारा 177	<u>यात्रियों से सम्बन्धित अपराध</u> 6– फुट बोर्ड पर यात्रियों के खडे होने पर		

Scanned with CamScanner

अधिकारी जो अपराधों का शमन कर सकते है।	मोटरयान अधिनियम, 1988 धाराऐं जिसके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है।	अपराधों का विवरण	प्रस्तावित प्रशमन शुल्क	
			प्रथम अपराध	अनुवर्ती अपराध
1	2	3	4	5
	मोटर यान अधिनियम की धारा 72 (xiii) के साथ पठित धारा 177 उत्तर प्रदेष मोटर यान नियमावली नियम 38 के साथ पठित धारा 177 उत्तर प्रदेष मोटर यान नियमावली के नियम 166 ए के साथ पठित धारा 177	<u>व्यवसायिक वाहनों से सम्बन्धित अपराध</u> 7– स्वीकृत किराये से अधिक किराया लेने पर। 8– परिवहन वाहनों में आवश्यक संसूचनायें प्रदर्शित न करने पर। 9– मोटर कैब में किराया मीटर कार्यशील न होने पर। 10– मोटर वाहन अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम, विनियम या जारी अधिसूचना के किसी उपबन्ध का उल्लघंन करने वाले अन्य अपराध जो ऊपर उल्लिखित नहीं है तथा जिनके लिये विशिष्ट जुर्माना निर्धारित नहीं किया गया है।		
(एक) परिवहन विभाग के अधिकारी यात्रीकर अधिकारी/ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी/संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन। (दो) समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट।	178(1)	<u>मंजिली गाड़ियों में यात्रियों से सम्बन्धित अपराध</u> 1– बिना वैध पास या टिकट के यात्रा करना। 2– मांगने पर वैध पास या टिकट प्रस्तुत न करना।	रू0–500/–	–

Scanned with CamScanner

अधिकारी जो अपराधों का शमन कर सकते है।	मोटरयान अधिनियम, 1988 धाराऐं जिसके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है।	अपराधों का विवरण	प्रस्तावित प्रशमन शुल्क	
			प्रथम अपराध	अनुवर्ती अपराध
1	2	3	4	5
–तदैव–	178(2)	मंजिली गाड़ियों में परिचालक से सम्बन्धित अपराध 1– किराया न लेना या किराया लेने से इंकार करना। 2– टिकट जारी न करना या टिकट जारी करने से इंकार करना। 3– अवैध टिकट देना। 4– कम मूल्य का टिकट प्रदान करना। 5– टिकट या पास की जांच न करना।	रू0–500/–	–
–तदैव–		ठेका वाहन के चालक या परमिट धारक द्वारा अधिनियम/ तद्धीन बनायी गयी नियमावली का उपबन्ध का उल्लंघन करके वाहन को ठेका पर संचालित करने या यात्रियों को ले जाने से मना करने परः–		
	178(3)(क)	(क.) दो पहिया या तीन पहिया वाहन की दशा में।	रू0–50/–	–
	178(3)(ख)	(ख) अन्य वाहनों की दशा में।	रू0–500/–	–

Scanned with CamScanner

अधिकारी जो अपराधों का शमन कर सकते है।	मोटरयान अधिनियम, 1988 धाराएँ जिसके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है।	अपराधों का विवरण	प्रस्तावित प्रशमन शुल्क	
			प्रथम अपराध	अनुवर्ती अपराध
1	2	3	4	5
(एक) परिवहन विभाग के अधिकारी यात्रीकर अधिकारी / सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी / संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन। (दो) समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट। (2)पुलिस विभाग के अधिकारी (एक) नागरिक पुलिस / यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी (दो) यातायात पुलिस के निरीक्षक / उप निरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी (तीन) नागरिक पुलिस के अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र की अधिकारिता के भीतर निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक (चार) समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट	179(1)	अधिनियम के अधीन सशक्त किसी प्राधिकारी के आदेश को न मानने या उसके कार्य में बाधा डालने पर।	रू0–2000 / –	–
–तदैव–	179(2)	अधिनियम के अधीन सूचना देने की अपेक्षा किये जाने पर सूचना न देने या जानबूझ कर मिथ्या सूचना देने पर।	रू0–2000 / –	–
–तदैव–	180	मोटर यान का स्वामी या भार साधक व्यक्ति होते हुये धारा 3 और 4 के उपबन्धों की पूर्ति न करने वाले व्यक्ति से वाहन चलवाने या उसकी अनुमति देने पर।	रू0–5000 / –	–
–तदैव–	181	धारा 3 और 4 के उपबन्धों का उल्लघंन कर बिना वैध लाइसेंस के मोटर यान चलाने पर।	रू0–5000 / –	–

Scanned with CamScanner

अधिकारी जो अपराधों का शमन कर सकते है।	मोटरयान अधिनियम, 1988 धाराऐं जिसके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है।	अपराधों का विवरण	प्रस्तावित प्रशमन शुल्क	
			प्रथम अपराध	अनुवर्ती अपराध
1	2	3	4	5
–तदैव–	182(1)	यान संचालन के लिए लाइसेंस धारण करने या प्राप्त करने से अनर्ह घोषित व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर यान चलाने पर या अनर्ह घोषित होने के तथ्य को छिपाकर ड्राईविंग लाइसेंस के लिये आवेदन करने या प्राप्त करने पर।	रू0–10000/–	–
–तदैव–	182(2)	परिचालक लाइसेंस धारण करने से अनर्ह होने के बावजूद किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर मंजिली गाड़ी में परिचालक के रूप में कार्य करने पर या अनर्ह घोषित होने के तथ्य को छिपाकर परिचालक लाइसेंस के लिये आवेदन करने या प्राप्त करने पर।	रू0–10000/–	–
(क) अपर परिवहन आयुक्त से अनिम्न एवं प्रमुख सचिव, सचिव एवं विशेष सचिव (परिवहन)।	182ए (1)	(क) मोटर यानों का विनिर्माता, आयातक या डीलर होते हुये अध्याय **VII** या उसके अधीन बनाये गये नियमों, विनियमों का उल्लघंन कर मोटर यान का विक्रय करना, परिदान करना, परिवर्तन करना या विक्रय, परिदान अथवा परिवर्तन करने के लिए प्रस्ताव करना। (i) विनिर्माता (ii) आयातक	रू0–100000/– प्रति वाहन	–
(ख) उप परिवहन आयुक्त से अनिम्न एवं प्रमुख सचिव, सचिव व विशेष सचिव (परिवहन)।		(ख) डीलर	रू0–100000/– प्रति वाहन	
उप परिवहन आयुक्त से अनिम्न एवं प्रमुख सचिव, सचिव व विशेष सचिव (परिवहन)।	182ए (3)	केन्द्रीय सरकार द्वारा क्रिटिकल सेफ्टी कम्पोनेंट के रूप में अधिसूचित और अध्याय **VII** अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों, विनियमों का अनुपालन न करने वाले किसी कम्पोनेंट का विक्रय करने, विक्रय का प्रस्ताव देने या विक्रय की अनुमति देने पर।	रू0–100000/– प्रति कम्पोनेंट	–

Scanned with CamScanner

अधिकारी जो अपराधों का शमन कर सकते है।	मोटरयान अधिनियम, 1988 धाराएँ जिसके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है।	अपराधों का विवरण	प्रस्तावित प्रशमन शुल्क	
			प्रथम अपराध	अनुवर्ती अपराध
1	2	3	4	5
(एक) परिवहन विभाग के अधिकारी यात्रीकर अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन।	182ए (4)	मोटरयान अधिनियम के प्राविधानों के विपरीत वाहनों में वाहन स्वामी द्वारा परिवर्तन करना।	रु0–5000/– प्रति परिवर्तन	–
(क) अपर परिवहन आयुक्त से अनिम्न एवं प्रमुख सचिव, सचिव एवं विशेष सचिव (परिवहन)।	182बी	(I) धारा– 62ए(1) के उल्लंघन पर (मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110(1)ए में प्रदत्त प्राविधान यथा यानों की लम्बाई, चौड़ाई,ऊंचाई, प्रलम्ब तथा भार क्षमता के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियमों का उल्लघंन कर वाहन पंजीयन करने पर)	रु0–5000/–	रु0–10000/–
–तदैव–	182बी	(II) धारा– 62ए(2) के उल्लंघन पर (विहित प्राधिकारी या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र द्वारा धारा–110 के अधीन बनाये गये नियमों का उल्लघंन कर स्वस्थता प्रमाण–पत्र जारी करने पर)	रु0–5000/–	रु0–10000/–
(एक) परिवहन विभाग के अधिकारी यात्रीकर अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन। (दो) समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट। (2)पुलिस विभाग के अधिकारी (एक) नागरिक पुलिस/यातायात	183(1)	अधिनियम की धारा 112 में उल्लिखित गति सीमाओं का उल्लंघन करके सार्वजनिक स्थान पर यान चलाने अथवा ऐसे व्यक्ति जो उसके द्वारा नियोजित या नियंत्रित है के द्वारा वाहन चलवाने पर।	(i) हल्के मोटरयान की दशा में रु0–2000/ (ii) मध्यम/ भारी यात्री/माल यान की दशा में रु0–4000/–	*अप्रशमनीय*

Scanned with CamScanner

अधिकारी जो अपराधों का शमन कर सकते है।	मोटरयान अधिनियम, 1988 धाराएँ जिसके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है।	अपराधों का विवरण	प्रस्तावित प्रशमन शुल्क	
			प्रथम अपराध	अनुवर्ती अपराध
1	2	3	4	5
पुलिस के राजपत्रित अधिकारी (दो) यातायात पुलिस के निरीक्षक/उपनिरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी (तीन) नागरिक पुलिस के अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र की अधिकारिता के भीतर निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक (चार) समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट।				
–तदैव–	केन्द्रीय मोटर यान नियमावली के नियम–21 की धारा–184(सी)	वाहन चलाते समय हाथ से पकडे जाने वाले संचार उपकरणों (हैण्ड हेल्ड डिवाइस) का उपयोग करना।	रू0–1000/–	रू0–10000/–
–तदैव–	186	यह ज्ञान होते हुये भी कि वह किसी ऐसे रोग या निःषक्तता से ग्रस्त है जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक स्थान में उसके द्वारा यान चलाने से साधारण जनता के लिये खतरा संभावित है सार्वजनिक स्थान में यान चलाने पर	रू0–1000/–	रू0–2000/–
–तदैव–	189	राज्य सरकार की लिखित सहमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर रेस/ट्रायल में भाग लेना।	रू0–5000/–	रू0–10000/–
–तदैव–	190(2)	किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान में ऐसा मोटर यान चलाने या चलवाने पर जो 1– सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लघंन कारक है यथा रेफ्लेक्टर न लगा होना, मानक के अनुसार रेट्रो रेफ्लेक्टिव टेप न लगा होना, वाणिज्यिक यानों में मानकों के अनुसार स्पीड लिमिट डिवाइस न लगा होना आदि । 2– वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में विहित मानकों का उल्लघंन कारक है। 3– ध्वनि प्रदूषण के सम्बन्ध में विहित मानकों का उल्लघंन कारक है।	रू0–10000/–	रू0–10000/–

Scanned with CamScanner

अधिकारी जो अपराधों का शमन कर सकते है।	मोटरयान अधिनियम, 1988 धाराऐं जिसके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है।	अपराधों का विवरण	प्रस्तावित प्रशमन शुल्क	
			प्रथम अपराध	अनुवर्ती अपराध
1	2	3	4	5
(1) परिवहन विभाग के अधिकारी यात्रीकर अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन (2) पुलिस विभाग के अधिकारी (एक) नागरिक पुलिस/यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी (दो) यातायात पुलिस के निरीक्षक/उपनिरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी (तीन) नागरिक पुलिस के अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र की अधिकारिता के अन्तर्गत निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक।	मोटर यान अधिनियम की धारा 39 एवं धारा 56 के साथ पठित धारा 192	(i) बिना पंजीकरण, निलम्बित या रद्द हुये पंजीयन चिन्ह वाले वाहन के संचालन पर।	रु0–5000/–	रु0–10000/–
		(ii) बिना वैध स्वस्थता प्रमाण–पत्र के वाहन संचालन पर।	रु0–5000/–	रु0–10000/–
	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के नियम 51 के साथ पठित धारा 192	(iii) पंजीयन चिन्ह को विहित ढंग से प्रदशित न करने पर।	रु0–5000/–	रु0–10000/–
		(iv) अन्य मोटर वाहन के पंजीयन चिह्न को अपने वाहन पर प्रदर्शित करने पर।	रु0–5000/–	रु0–10000/–
–तदैव–	केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम की धारा–66 के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा–192ए	बिना परमिट अथवा परमिट शर्तों का उल्लंघन(मार्ग, क्षेत्र एवं उद्देष्य से सम्बन्धित) कर वाहन का संचालन करना या संचालन करने की अनुमति देना।	रु0–10000/–	रु0–10000/–
परिवहन विभाग के अधिकारी यात्रीकर अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन।	194(1)	अनुज्ञेय भार से अधिक भार वाले यान चलाये जाने की दशा में:– (क) अधिनियम की धारा 113 और 115 के उपबन्धों का उल्लघन करके कोई मोटर यान चलाये जाने पर तथा (ख) यदि किसी मोटर यान में अधिक भार हो तो प्रतिटन अधिक भार होने पर।	रु0–20000/– + रू0–2000/– प्रति टन अधिक भार के लिए अतिरिक्त	–

अधिकारी जो अपराधों का शमन कर सकते है।	मोटरयान अधिनियम, 1988 धाराएँ जिसके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है।	अपराधों का विवरण	प्रस्तावित प्रशमन शुल्क	
			प्रथम अपराध	अनुवर्ती अपराध
1	2	3	4	5
–तदैव–	194(1ए)	वाहन में गैर कृषि उत्पाद माल लदा होने पर बॉडी से किसी भी तरफ बाहर निकला होने पर। वाहन में लदा माल कृषि उत्पाद होने पर बॉडी से किसी भी तरफ बाहर निकला होने पर।	रु0–20000/– रु0–100/–	–
–तदैव–	मोटर यान अधिनियम की धारा–114 के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा–194(2)	मोटर यान अधिनियम की धारा–114 में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये निदेशों के अनुपालन में वाहन को तुलवाने से इंकार अथवा तुलवाने के पूर्व माल को हटाने अथवा हटवाने पर।	रु0–40000/–	–
(1)परिवहन विभाग के अधिकारी यात्रीकर अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन। (2)पुलिस विभाग के अधिकारी (एक) नागरिक पुलिस/यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी (दो) यातायात पुलिस निरीक्षक/उपनिरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी (तीन) नागरिक पुलिस के अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र की अधिकारिता के अन्तर्गत निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक (चार) समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट	उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली के नियम–135 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–194ए	यात्री परिवहन यान में पंजीयन प्रमाण–पत्र या परमिट में स्वीकृत यात्रियों से अधिक यात्रियों को ले जाने पर।	रु0–200/– प्रति यात्री	–
–तदैव–	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–194बी(1)	बिना सुरक्षा बेल्ट पहने मोटर यान चलाना या ऐसे यात्रियों को ले जाना जिन्होंने सुरक्षा बेल्ट नहीं पहनी है।	रु0–1000/–	–

Scanned with CamScanner

अधिकारी जो अपराधों का शमन कर सकते है।	मोटरयान अधिनियम, 1988 धाराएँ जिसके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है।	अपराधों का विवरण	प्रस्तावित प्रशमन शुल्क	
			प्रथम अपराध	अनुवर्ती अपराध
1	2	3	4	5
–तदैव–	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–194बी(2)	ऐसे मोटर यान को चलाना, चलवाना या चलवाने के अनुज्ञात करना जिसमें ऐसे बालक हैं जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है तथा जिन्होंने सुरक्षा बेल्ट नहीं पहनी है या किसी अवरोध प्रणाली द्वारा सुरक्षित नहीं है।	रु0–1000/–	–
–तदैव–	धारा–128 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–194सी	दो पहिया यान में चालक द्वारा स्वयं के अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्ति ले जाना।	रु0–1000/–	–
–तदैव–	केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम की धारा–129 एवं उत्तर प्रदेष मोटरयान नियमावली 1998 के नियम– 201 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–194डी	बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाना।	रु0–1000/–	–
–तदैव–	194ई	एम्बुलेन्स, फायर ब्रिगेड या अन्य आपातकालीन वाहन को रास्ता न देना।	रु0–10000/–	–
–तदैव–	194एफ	<u>शान्त क्षेत्र में हॉर्न का प्रयोग करने पर</u> 1– सुरक्षा के लिये जरूरी से अधिक या अनावष्यक रूप से निरन्तर हॉर्न बजाना। 2– वहॉ हॉर्न बजाना जहॉ प्रतिबन्धित है। 3– मोटर यान से साइलेंसर के अतिरिक्त अन्य जगह से एक्जॉस्ट गैस निकलना ।	रु0–1000/–	रु0–2000/–
–तदैव–	196	गैर बीमाकृत मोटर यान चलाना या चलाने के लिए अनुज्ञा देना।	रु0–2000/–	रु0–4000/–
–तदैव–	198	बिना प्राधिकार के यान में अनाधिकृत दखल देने या उसमें छेड़छाड़ करने पर।	रु0–1000/–	–

Scanned with CamScanner